कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– 1238/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक, 16/11/ 2021.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
गाजीपुर।

विषयः– 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रस्तावित 19.968हे0 (वर्तमान में 7.5118हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/44753/2020)

सन्दर्भः– आपके कार्यालय पत्रांक–1526/वि0प्रे0ख0(गा)/ दिनांक–10.09.2021, इस कार्यालय के पत्रांक–1105/ओबरा/33 दिनांक–25.10.2021 तथा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–2031/ मी0क्षे0/33/मी0 दिनांक–28.10.2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव आन लाईन डाटा इन्ट्री करने के उपरान्त पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–1105/ओबरा/33 दिनांक–25.10.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर महोदय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक–2031/ मी0क्षे0/33/मी0 दिनांक–28.10.2021 द्वारा आपत्ति करते हुए, प्रस्ताव मूल में वापस कर, आपत्तियों का निराकरण करनें के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

अतः आपको मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2031/ मी0क्षे0/33/मी0 दिनांक–28.10.2021 की छायाप्रति के साथ प्रस्ताव की 05 मूल प्रति संलग्न कर, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत आपत्तियों का निराकरण करते हुए, संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला से सम्पर्क स्थापित कर वन विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– – **अ/समदिनांकित**

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 गाजीपुर के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर, वन विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

E.D.S

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 2031 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर, 28, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर, वन प्रभाग
मीरजापुर।

विषयः– 400 के0बी0 ओबरा ली0लो0विद्युत पारेषण लाइन मे प्रस्तावित 19.968 हे0(वर्तमान मे 7.5118 हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के संबंध मे। प्रस्ताव सं0–एफ0पी0 / यू0पी0 / ट्रान्समिशन / 44753 / 2020.

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या–1105 / ओबरा / 33 दिनांक 25.10.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिषयक मामले की प्रस्ताव 4 प्रतियो मे इस कार्यालय को प्रषित किया गया है। प्रेषित किये गये प्रस्ताव मे निम्न कमियॉ / अभिलेखो का अभाव पाया गयाः–

1– उप सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–जी0आई0–322 / 14–2–94–700(2) / 97 दिनांक 01.01.1999 के शर्त संख्या–3 के अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि की भा0व0अ0 1927 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन घोषित कराये जाने की स्थिति।

2– उप सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–जी0आई0–322 / 14–2–94–700(2) / 97 दिनांक 01.01.1999 के शर्त संख्या–12 के अनुसार 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट कब तक जमा किया गया है। इस संबन्ध मे प्रस्तावक के पत्र सं0–1750 दिनांक 132.10.2021 जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यलय को पृष्ठांकित है मे उल्लेख है कि वर्ष 2019–20 व 2020–21 की लीज रेंट प्रभाग स्तर से मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान नही किया जा सका है। लीज रेंट भुगतान के संबन्ध मे आपके कार्यालय के पत्र संख्या–956 / ओबरा / 33 दिनांक 06.10.2021 द्वारा प्रश्नगत लीज रेंट वर्ष 2019–20 तक भुगतान किये जाने तथा वर्ष 2020–21 की लीज रेन्ट जमा किया जाना शेष है उल्लेख किया गया हैं। प्रस्तावक के अनुसार वर्ष 2019–20 व 2020–21 की लीज रेंट किन परिस्थितियो मे मांग नही की गयी । विलम्ब की स्थिति मे ब्याज की देयता हेतु कौन उत्तरदायी है। स्पष्ट करें।

3–प्रस्ताव मे 10 कि0मी0 परिधि मे कोई सेंचुरी / वन्य जीव विहार न होने के संबंध मे प्रभागीय वन अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

4–प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 पर संलग्नक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव धारा–4 मे विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968 हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार किया गया था तथा धारा–20 की अधिसूचना के पश्चात 7.5118 हे0 प्रभावित हो रही है। इस प्रकार 12.4562 हे0 वन भूमि कम पाया गया। इस संबंध मे निम्न प्रारुप मे सूचना प्रेषित करें।

पूर्व के प्रस्ताव मे उल्लिखित क्षे0–19.968 हे0				वर्तमान के प्रस्ताव मे उल्लिखित क्षे0–7.5118 हे0				
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	आ0सं0	क्षेत्रफल हे0 मे	ग्राम का नाम	आ0सं0	क्षेत्रफल हे0 मे	अन्तर (4–7)	अन्तर का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5–प्रस्ताव मे संलग्नक पृष्ठ संख्या–27 पर धारा–20 की गजट की प्रति मे उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल एव संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल से मिलान करने पर निम्न त्रुटियॉ पायी गयी है:–

(क)–गजट मे गाटा सं0–6013 क्षे0 0.038 हे0 एवं गाटा सं0 6014 क्षे0 0.051 हे0 कुल 0.089 हे0 है, जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे 0.3453 हे0 उल्लेख किया गया है।

(ख)– गजट मे गाटा सं0–5824 नही है, जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे उल्लेख किया गया है।

(ग)– गजट मे गाटा सं0–6221 मि0 उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।

(घ)– गजट मे गाटा सं0–6221 मि0 उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।

(ङ)– गजट मे गाटा सं0–5575 नही है, आप द्वारा 5575 उल्लेख किया गया है।

(च)– गजट मे गाटा सं0–2327 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2327 उल्लेख किया गया है।

(छ)– गजट मे गाटा सं0–2328 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2328 उल्लेख किया गया है।

(ज)– गजट मे गाटा सं0–5586 मि0 उल्लेख है, आप द्वारा 5586 उल्लेख किया गया है।

6– पस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक,/ नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–338/11–सी दिनांक 29.07.2021 द्वारा वन भूमि के समस्त प्रस्ताव की हार्ड कापी के साथ–साथ प्रस्ताव के पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी0डी0एफ0 फाइल पैन ड्राइब तीन प्रतियो मे प्रेषित नही किया गया है।

7–प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि का लैंड शेड्यूल निम्न प्रारुप मे संलग्न नही है।

प्रभाग का नाम	रंज का नाम	ग्राम का नाम	बीट का नाम	कं0नं0	प्रभावित वन भूमि की आ0सं0	प्रभावित वन भूमि की ल0 (कि0मी0)	प्रभावित वन भूमि की चौ0 (कि0मी0)	प्रभावित वन भूमि की क्षे0 (हे0मे)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव मूल मे संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए उपरोक्त कमियो का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अग्रेसित
(प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी ओबरा
1961
रजिस्टर सं0
फाइल सं0.....
दिनांक 30-10-21
ओबरा-सोनभद्र

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

29/10/2021